न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 10/2024
दायर दिनांकः 02.04.2024
निर्णय दिनांक 28.11.2025

—: अनवान :—

श्रीमती वरदीबाई पत्नी स्व0 हजारीसिंह जी जाति रावत निवासी गांगागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद **— अपीलान्ट**

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद
2. श्रीमान् पटवारी साहब, पटवार हल्का लीकी तहसील आमेट जिला राजसमंद

— रेस्पोण्डेन्टगण

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार साहब आमेट दिनांक 12.09.2022 मुकदमा नम्बर 152/22 नाजायज कब्जा, बअनवान पटवार हल्का लीकी बनाम हजारीसिंह, द्वारा पारीत पीठासीन अधिकारी श्री देवाराम तहसीलदार आमेट जिला राजसमंद के आदेश से व्यथित होकर

उपस्थितः—

1— श्री आर एल रावत, अधिवक्ता अपीलान्ट

2— राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील न्यायालय तहसीलदार आमेट के द्वारा मुकदमा संख्या 152/2022 ना0क0 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हल्का पटवारी लीकी ने पटवारी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेट के समक्ष पेश करके उल्लेख किया कि मौजा ग्राम गांगागुडा के आराजी नम्बर 257 रकबा 0.6000 बिलानाम पर नाजायज कब्जा बाड करके कर रखा है, के आशय की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 152/22 नाजायज कब्जा पंजीबद्ध करते हुए राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् नोटिस जारी किये गये, परन्तु अपीलान्ट के पति हजारीसिंह पिता उदयसिंह जी का स्वर्गवास काफी वर्षों पूर्व हो गया था एवं इस सम्बन्ध में अपीलान्ट को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारीत किया गया जिससे व्यथीत होकर यह अपील इन आधारो पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

आलोच्य आदेश पारित किया गया है, वह कानूनी, विधि एवं सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है अधीनस्थ न्यायालय ने जो आलोच्य आदेश पारित किया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। साथ ही पत्रावली पर अपीलान्ट के द्वारा जो जवाब एवं साक्ष्य सबुत पेश किये है, उनका बिना विवेचन किये, मन–मकसूद तरीके से जो आदेश पारीत किया है अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलान्ट को न तो सुना गया एवं न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। ऐसी स्थिति में जो आलोच्य आदेश पारित किया गया है, वह पूर्वाग्रहित होना प्रकट होता है एवं राजनीति से प्रेरित आदेश है। ऐसे आदेश विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अपीलान्ट के पति स्व0 हजारीसिंह पिता उदयसिंह जी की मृत्यु दिनांक 03.11.2006 को हो जाने के उपरान्त भी गलत रूप से हजारीसिंह के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई एवं दिनांक 12.09.2022 को पत्रावली वास्ते सुनवाई हेतु नियत कर दी गई, जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को प्राप्त नही हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान को नहीं सुना गया एवं न ही सुनवाई कर अवसर दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय मात्र छपे छपाये फार्म में जो आदेश पारित किया है, वह खारीज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विवेक का प्रयोग किये अपने आदेश में कॉलम संख्या 2 मे यह उल्लेख किया "अप्रार्थी बावजुद सूचना के अनुपस्थिति रहने से उसके विरूद्ध उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिये जाते है" जब कि उक्त प्रकरण मे अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये ही छपे छपाये फार्म में अपीलान्ट के विरूद्ध जो बेदखली का आदेश पारित किया है वह खारीज योग्य है। अपीलान्ट के द्वारा जो आलोच्य आदेश पारित किया है वह स्पीपिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। हल्का पटवारी लीकी ने जो बाड करके कब्जा बताया है, उक्त आराजी नम्बर 257 रकबा 0.6000 हेक्टर पर अपीलान्ट से पूर्व अपीलान्ट के पति स्व0 हजारीसिंह पिता उदयसिंह जी रावत काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहे है तथा उक्त भूमि पर काफी धन एवं श्रम व्यय कर भूमि को विकसित किया है, अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रही है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये ही एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये जो आलोच्य आदेश पारित किया है वह अपास्त योग्य है। इससे पूर्व प्रार्थीया को उक्त आदेश की कोई जानकारी नही थी। फिर भी दिनांक 12.09.2022 से गुजरी हुई मियाद के कण्डोन हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय तहसीलदार साहब आमेट दिनांक 12.09.2022 मुकदमा नम्बर 152/22 नाजायज कब्जा, बअनवान पटवार हल्का लीकी बनाम हजारीसिंह के निर्णय को अपास्त कर खारीज किया जावे एवं अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही नही की जावे एवं अपीलान्ट के नाम पर उक्त भूमि को नियमन करने का आदेश फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्यतः यह कथन किया कि ग्राम गांगागुडा के आराजी नम्बर 257 रकबा 0.6000 बिलानाम पर नाजायज कब्जा बाड करके कर रखा है के आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का लिकी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 152/22 नाजायज कब्जा पंजीबद्ध करते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् नोटिस जारी किये गये, परन्तु अपीलान्ट के पति हजारीसिंह पिता उदयसिंह जी का स्वर्गवास काफी वर्षों पूर्व हो गया था एवं इस सम्बन्ध में अपीलान्ट को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारीत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आलोच्य आदेश पारित किया है वह देखने मात्र से ही त्रुटीपूर्ण है एवं विधि के प्रावधानो के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आलोच्य आदेश पारित किया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है, साथ ही पत्रावली पर अपीलान्ट के द्वारा जो जवाब एवं साक्ष्य सबुत पेश किये है, उनका बिना विवेचन किये, मन–मकसूद तरीके से जो आदेश पारीत किया है अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलान्ट को न तो सुना गया एवं न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। ऐसी स्थिति में जो आलोच्य आदेश पारित किया गया है, वह पूर्वाग्रहित होना प्रकट होता है एवं राजनीति से प्रेरित आदेश है। ऐसे आदेश विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अपीलान्ट के पति स्व0 हजारीसिंह पिता उदयसिंह जी की मृत्यु दिनांक 03.11.2006 को हो जाने के उपरान्त भी गलत रूप से हजारीसिंह के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई एवं दिनांक 12.09.2022 को पत्रावली वास्ते सुनवाई हेतु नियत कर दी गई, जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को प्राप्त नही हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नहीं सुना गया एवं न ही सुनवाई कर अवसर दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय मात्र छपे छपाये फार्म में जो आदेश पारित किया है, वह खारीज योग्य है। अपीलान्ट के विरूद्ध जो आलोच्य आदेश पारित किया है वह स्पीपिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। यदि अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली का आदेश दिया भी जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बेदखली का उचित कारण बताते हुए आदेश पारित करना चाहिए, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली से परे जाकर के जो

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

आदेश पारित किया है वह अपास्त योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय तहसीलदार साहब आमेट दिनांक 12.09.2022 मुकदमा नम्बर 152/22 नाजायज कब्जा, बअनवान पटवार हल्का लीकी बनाम हजारीसिंह के निर्णय को अपास्त कर खारीज किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत व नियमानुसार है। अपीलार्थी के विरूद्ध यह आदेश भी पारित नही हुआ हैं। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश से व्यतित होने के संबंध में कोई तथ्य उल्लेख नही किये है, नही उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने के सबंध में अनुमति का कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अपील पेश करने का कोई लोकस स्टैण्डाई नही होने से उक्त अपील को अस्वीकार कर खारिज फरमायी जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेट के निर्णय दिनांक 12.09.2022 मुकदमा संख्या 152/2022 के विरूद्ध अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित कर दिया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि जो कि राजकीय बिलानाम पडत भूमि है, उस पर श्री हजारीसिंह का अतिक्रमण होकर नाजायज कब्जा था और इस संबंध में तहसीलदार आमेट द्वारा जो कार्यवाही की गयी है वह विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए की गयी। तथा राजकीय भूमि पर से कब्जा हटाने के लिए की गयी है जो कि तहसीलदार का भूमिधारक होने के कारण कर्तव्य भी है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी पक्षकार नही हैं और अपीलार्थी के विरूद्ध यह आदेश भी पारित नही हुआ हैं। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश से व्यतित होने के संबंध में कोई तथ्य उल्लेख नही किये है, नही उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने के सबंध में अनुमति का कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही होने से यह अपील इसी आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं।

अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेट द्वारा बिलानाम भूमि पर अतिक्रमी को हटाने के लिए जो निर्णय लिया गया है उसमें मैं कोई त्रुटी नहीं समझता हूँ। तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करना न्यायोचित समझता हूँ।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2022 को यथावत रखा जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार आमेट को लौटायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)